सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 171 राँची ,शुक्रवार

5 वैशाख 1936 (श०)

25 अप्रैल, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

15 अप्रैल, 2014

संख्या-5/आरोप-1-240/2014 का.-3551--श्री गोपीनन्दन प्रसाद, झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू को पदस्थापन अवधि के दौरान अन्नपूर्णा चावल वितरण संबंधी गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने, मृत लाभुकों के स्थान पर नए लाभुकों का चयन नहीं कर पूर्व से चयनित लाभुकों के लिए चावल उठाव कर वितरण शत-प्रतिशत दिखाकर मृत लाभुकों के वितरण किये गये चावल का कालाबाजारी कराने, अन्नपूर्णा योजना के भण्डार पंजी का भी संधारण नहीं करने, इस योजना का अनुश्रवण नहीं करने आदि आरोप प्रपत्र- 'क' में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 1278, दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा प्रतिवेदित किये गये हैं।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०- 3422 दिनांक 23 मई, 2009 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः, विभागीय संकल्प संख्या-8210, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 द्वारा आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-86, दिनांक

28 फरवरी, 2012 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोपों को अप्रमाणित पाया गया, परन्तु विभागीय समीक्षा के क्रम में आरोप संख्या-2 एवं 3 प्रमाणित पाये गये। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 द्वारा श्री प्रसाद के दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका W.P.(S) No. 2863/2012 - गोपी नन्दन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2014 को आदेश पारित किया गया है। न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् हैः-

"In the result, the impugned order dated 17th April, 2012 is hereby quashed. The matter is remitted back to the disciplinary authority for deciding the matter afresh after giving fresh show-cause notice to the petitioner indicating the reasons for disagreement with the findings recorded by the enquiry officer."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री गोपी नन्दन प्रसाद के विरूद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-3656, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 171–50 ।